

प्रति,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 02/ सितम्बर 2011

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/1193/2011, दिनांक 10.06.2011 एवं पत्रांक-सी०एस०जे०एम०वि०वि०/संख्या/2122/2011, दिनांक 10.08.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन लालजी डिग्री कालेज, बारा, परशदपुर, रायबरेली को स्नातक स्तर पर कक्षा संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं प्राचीन भारतीय इतिहास विषयों में स्वदत्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की शर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/संतर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेंगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

नवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-संख्या 134(1)/संतर-8-2011, तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, लालजी डिग्री कालेज, बारा, परशदपुर, रायबरेली।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

संजीव सोनकर

आज्ञा से
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय
परशदपुर, रायबरेली